नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक / /स्थापना तृ.च. / 2023 खण्डवा, दिनांक– /02 / 2023

/ /कार्यालयीन आदेश / /

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 2–06 / 2018 / 1–55 भोपाल दिनांक 20.04.2018 द्वारा नंदकुमार सिंह चौहान, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा भोपाल से प्राप्त गैर शैक्षणिक संवर्ग की अनुसूची के आधार पर गैर शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों पर एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से जारी विज्ञापन के अनुसार प्राप्त मेरिट एवं विशेष आदिम जनजाति की मेरिट सूची के आधार पर सत्यापन समिति की अनुशंसा पर पात्र अभ्यर्थियों को अनन्तिम रूप से म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर–शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक इस स्वशासी संस्था में नियुक्त किया जाता है:–

क.	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	चयनित पदनाम	श्रेणी	चयनित श्रेणी	वेतनमान
1	श्री नितीन नायक	श्री पुरूषोत्तम नायक	मेडिकल सोशल वर्कर	अनारक्षित	अनारक्षित	32800 / –
2	माया बैगा	स्व. श्री बडकु बैगा	मेडिकल सोशल वर्कर	अजजा	अजजा	32800 / –
3	श्री देवेन्द्र आदिवासी	श्री प्रीतमसिंह आदिवासी	स्टेनो टायपिस्ट	अजजा	अजजा	19500 / –
4	कु. रितु कनकने	श्री नरेन्द्र कनकने	सहायक ग्रेड–3	अनारक्षित	अनारक्षित (महिला)	19500 / –
5	श्री चंदनदास बैगा	श्री गोविंद प्रसाद बैगा	सहायक ग्रेड–3	अजजा	अजजा	19500 / –
6	श्री राकेश बैगा	श्री भानू बैगा	सहायक ग्रेड–3	अजजा	अजजा	19500 / –
7	श्री अनमोल वर्मा	श्री देवेन्द्र सिंह वर्मा	रिकार्ड क्लर्क	अनारक्षित	अनारक्षित	19500 / –
8	श्री प्रमोद सिंह रावत	श्री दिलवर सिंह रावत	डाक्यूमेंटलिस्ट	अनारक्षित	अनारक्षित	19500 / –

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :–

1. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद जिला चिकित्सालय, खण्डवा के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. आप पर मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा आदर्श सेवा नियम 2018 लागू होंगे।
3. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–9 / 3 / 2005 / नियम / चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5 / 1 / 2005 / नियम / चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे। आप पर एनपीएस नियम लागू होगा।
4. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से 27.02.2023 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा कार्यभार ग्रहण ना करने की दशा में आपका आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
5. आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
6. आपकी नियुक्ति म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी–3–13 / 2019 / 3 / एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 में दिए गए निर्देशानुसार 03 वर्ष की परिविक्षा अवधि पर होगी। परीविक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीविक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
7. आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र / अभिलेख गलत कभी भी किसी भी समय पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
8. आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता कमानुसार ही रहेगी।
9. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति / जनजाति / अपिव / महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
10. आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तो के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तो में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

11. एक बार इस संस्था में नियुक्त होने के पश्चात आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
12. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण पत्र, उपाधियां एवं अन्य प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां जमा करनी होगी तथा मूल प्रतियां अवलोकन हेतु प्रस्तुत करनी होगी।
13. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय 100 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
15. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन के प्रत्याक्षा में की जा रही है अतएव उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही नियुक्ति मान्य होगी।
16. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित ना पाये जाने पर तथा हडताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
17. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तो में परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तो में भी हो सकता है।
18. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
19. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबद प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र, एक सेवा पुस्तिका तथा रु. 03 का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।
20. उक्त वेतनमान के साथ–साथ शासन द्वारा अन्य देय भत्ते आदि देय होगें।
21. आपकी सेवाएँ माननीय उच्चतम न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

(डॉ. अनंत टी. पवार)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म. खण्डवा

क्रमांक / 978-84 / स्थापना तृ.च. / 2023
खण्डवा, दिनांकः 16 / 02 / 2023

प्रतिलिपिः–

1. अवर सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल।
3. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल।
5. सिविल सर्जन, सह अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय खण्डवा।
6. प्रभारी, लेखा शाखा, नं.सिं.चौ.शा.चि.म.खण्डवा की ओर उक्तानुसार सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. संबंधित की ओर सूचना एवं पालनार्थ।

(डॉ. अनंत टी. पवार)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म. खण्डवा